राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 410/2013/उदयपुर

मैसर्स शिव कृपा फर्नीचर, उदयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री प्रकाश जांवरिया,
अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उपराजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/01/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 117/2012–13/कर/उपा(प्र)उदयपुर में पारित किये गये निर्णय दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का एकतरफा कर निर्धारण दिनांक 13.03.2009 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–चतुर्थ, वृत्त–बी, उदयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा किया जाकर मांग रूपये 8,43,750/– की कायम की गयी। उक्त एकतरफा आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष धारा 34 के तहत आवेदन पेश कर वाद को पुनः कर निर्धारण हेतु खोलने के लिए निवेदन किया। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उसे बिना कोई नोटिस तामील हुये यह एकतरफा आदेश पारित किया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। एकतरफा आदेश से अनावश्यक एवं बहुत अधिक मांग कायम कर दी गयी है। अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अनुचित रूप से उसके आवेदन को खारिज किया गया है। अतः अपील को स्वीकार कर पुनः कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित करने हेतु निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने आदेश का समर्थन किया।

लगातार.....2

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण पत्रावली में एक नोटिस लगा हुआ है उसमें कोई तामील होने का प्रमाण नहीं है। नोटिस रजिस्टर्ड भेजा जाना बताया है परन्तु उसकी एडी भी पत्रावली पर नहीं है ऐसे में यह मानने को पर्याप्त आधार है कि अपीलार्थी को कर निर्धारण का नोटिस तामील नहीं हुआ है। अतः ऐसे एकतरफा आदेश की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया एकतरफा आदेश को अपास्त किया जाता है। तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश धारा 34 को भी अनुचित मानकर अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वह पुनः कर निर्धारण हेतु दिनांक 17.02.2014 को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश हो।

7. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

22-1-14

(अमर सिंह)
सदस्य